(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग). केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध अभिकथित भ्रष्टाचार/ अधिकारों के दुरुपयोग, सरकारी नियमों के उल्लंघन आदि के बारे में 52 आरोपों की एक सूची माइन्स रेस्क्यू स्टेशन्स कर्मचारी संघ से प्राप्त हुई है । खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद से इन आरोपों की प्रारम्भिक जांच करने के लिये कहा गया है । अपेक्षित जांच पूरी हो जाने पर, सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जायगी, की जायगी ।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट

3828. **प्रो० सत्य देव सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की शेष रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों तथा उन पर लिये गये निर्णय को सभा पटल पर अब तक न रखने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पुलिस आयोग की शेष 7 रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों की जांच की जा रही है । सरकार शेष 7 रिपोर्टों को लोक सभा के पटल पर रखने के संबंध में निर्णय उनकी जांच पूरी हो जाने के बाद लिया जा सकेगा ।

Gratuity to Workers

3828. SHRI ERA MOHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the entitlement for gratuity for the labour is determined on compulsory attendance for 240 days in a year;

(b) if so, whether a worker enjoying 52 weekly holidays, 12 days of national holidays, earned leave of 14 days and E.S.I. leave of 90 days (totalling 168 days) is entitled to gratuity; and

(c) if not, whether the gratuity is denied to all such workers enjoying these holidays?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI DHARMAVIR): (a) to (c). Sub-Sections (1) & (2) of Section 4 of the Payment of Gratuity Act read as follows:—

4(1) Gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than five years,—

(a) on his superannuation, or

(b) on his retirement or resignation, or

(c) on his death or disablement due to accident or disease.

Provided that the completion of continuous service of five years shall not be necessary where the termination of the employment of any employee is due to death or disablement:

Provided further that in the case of death of the employee, gratuity payable to him shall be paid to his nominee or, if no nomination has been made, to his heirs.